स्वामी श्री शिव चैतन्य बनाम लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भीनमाल प्रकरण संख्या 16/2018

13.08.2018 अपीलांट व राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल अनुपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी का जवाब प्राप्त हुआ।

राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल ने जवाब में व्यक्त किया कि अपीलांट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाही गई सूचना पत्रांक/672 दिनांक 26.07.2018 को जरिए रजि.एडी से भिजवाई गई है। अतः अपील फैसल करवाने की व्यवस्था करावे।

हमने राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल के द्वारा प्रस्तुत जवाब पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा पोस्टल आर्डर संख्या 41 एफ 010091 के संलग्न आवेदन पत्र दिनांक 18.06.2018 के द्वारा चाही गई सूचना रेस्पोडेन्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार)भीनमाल द्वारा अपीलांट को जरिए पत्रांक/672 दिनांक 26.07.2018 को जरिए रजि.एडी से भिजवाई जाना पाया जाता है। इस प्रकार प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

अपीलांट को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि वह इस निर्णय से असंतुष्ट है तो इस आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग जयपुर के समक्ष की जा सकती है।

(बी.एल.कोठारी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
(जिला कलेक्टर)
जालोर